

कोडरमा समाहरणालय, कोडरमा

कार्यालय जिला भू-अर्जन पदाधिकारी-सह-सक्षम प्राधिकारी
(भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम-1956 के अन्तर्गत) कोडरमा।

संशोधित नोटिस

एन0एच0 एक्ट-1956 की धारा 3A के अन्तर्गत

स्थान:-कोडरमा

संख्या:-1200

दिनांक.....14/07/2021

भू-अर्जन वाद सं0:-09/2014-15

पंचाट की संख्या:-2(XXX)

पंचाटी का नाम:-हसन इमाम पिता-मो0 हासीम साकिन-असना।

वजरीये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि आपके दावे के अनुसार निम्न वर्णित भूमि का अधिग्रहण एन0एच0 एक्ट-1956 के तहत बरही से रबौली तक फोरलेन चौड़ीकरण परियोजना अन्तर्गत अधिग्रहण किया गया है, जिसके विरुद्ध आपको मो0-

दिया जाना निर्धारित किया गया है। यदि आपको लेना मंजूर हो तो आप स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से अर्जित की जाने वाली भूमि का अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत स्वामित्व एवं दखल से संबंधित प्रमाण पत्र एवं निम्नलिखित कागजातों के साथ दिनांक 22/07/2021 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि आप उपस्थित नहीं हो सकें तो ब्याज नहीं दिया जायेगा। सभी प्रपत्रों के जाँचोपरांत मुआवजा भुगतान हेतु कार्रवाई की जायेगी।

आपके द्वारा गलत दावा किये जाने पर आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

मौजा का नाम /धाना का नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	अर्जित रकवा (एकड़ में)	भूमि का किस्म
असना/245	21	2219	0.0300	आवासीय

आवश्यक कागजात

01. अद्यतन लगान रसीद
02. केवाला का छायाप्रति
03. छतियान का प्रति
04. शपथ पत्र
05. बन्ध पत्र(अनुमण्डल दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत)
06. बैंक पासबुक का छायाप्रति
07. दो फोटो पासपोर्ट साईज
08. मतदता पहचान पत्र
09. आधार कार्ड
10. वंशावली(अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत)
11. पैन कार्ड
12. भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (L.P.C) (अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत)

Handwritten signature
हसन इमाम



Handwritten signature
सक्षम प्राधिकारी-सह-
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
कोडरमा।
(एन0एच0 एक्ट-1956 के तहत)